सं0सं0–9/आ0–2–23/2010

बिहार सरकार

<u>स्वास्थ्य विभाग</u>

<u>आदेश</u>

डा0 विनोद कुमार सिंह, चिकित्सा पदाधिकारी कुष्ठ नियंत्रण इकाई रफीगंज, औरंगाबाद को रफीगंज थाना के काण्ड सं0 92/10 दिनांक 23.9.10 के मामले में पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर कारावास में रखने के कारण बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 9(2) के अंतर्गत कारावास की अवधि दिनांक 23.09.10 से 7.10.2010 के लिए विभागीय विभागीय अधिसूचना सं0 207(9) दिनांक 04.03.2011 के द्वारा निलंबित किया गया एवं दिनांक 7.10.2010 से ही डा0 सिंह को निलंबन से मुक्त किया गया।

डा0 सिंह ने आवेदन के माध्यम से कहा है कि असामाजिक तत्वों द्वारा एक षड़यत्र के तहत आरोप लगाकर मुकदमा किया गया। इस मामले में न्यायालय का आदेश प्राप्त हो चुका है। यह वाद जी0 आर0 नं0 1910/10 विचारण संख्या 306/17 राज्य द्वारा अनिल कुमार बनाम विनोद कुमार सिंह दाखिल हुआ, जिसमें दिनांक 11.12.17 को अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम औरंगाबाद द्वारा पारित आदेश में अभियुक्त विनोद कुमार सिंह को धारा 377/511 भा0 द0 वि0 के आरोपों से साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए दोष मुक्त किया गया है तथा इनके प्रतिभूओं को उनके बंध पत्र के दायित्वों से उन्मुक्त किया गया है। डा0 सिंह ने इस आधार पर निलंबन अवधि 23.09.10 से दिनांक 7.10.10 के लिए जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त अवशेष राशि के संबंध में निर्णय का अनुरोध किया है।

सिविल सर्जन औरंगाबाद से डा0 विनोद कुमार सिंह के विरूद्ध आरोप के संबंध में जानकारी ली गई। सिविल सर्जन के प्रतिवेदन में यह कहा गया है कि मामला डा0 सिंह के निजी क्लिनिक से संबंधित है न कि सरकारी अस्पताल से तथा इनके विरूद्ध प्रपत्र 'क' का गठन भी नहीं किया गया है।

सम्पूर्ण मामले की विभागीय स्तर पर समीक्षा की गई समीक्षोपरांत सक्षम प्राधिकार के अनुमोदन से बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 11(3) के आलोक में डा0 विनोद कुमार सिंह का निलंबन अवधि 23.09.10 से दिनांक 07.10.2010 के लिए जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त अवशेष राशि का भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

ह0/–
(विवेकानन्द ठाकुर)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक: 630(9) /स्वा0, पटना , दिनांक: 18/6/2019

प्रतिलिपिः–महालेखाकार (ले एवं ह०) बिहार पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0 दा0 नि0 को0) विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– क्षेत्रीय अपर– निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें मगध प्रमंडल गया/सिविल सर्जन औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक प्रेषित।

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री (स्वा0) के आप्त सचिव/प्रधान सचिव स्वा0 विभाग के प्रधान आप्त सचिव/ निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाऐं बिहार पटना के निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– डा0 विनोद कुमार सिंह, चिकित्सा पदाधिकारी कुष्ठ नियंत्रण इकाई रफीगंज, औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– प्रशाखा पदाधिकारी 2, 3, 7, 9, एवं 10,17 एवं 18A को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–आई0टी0 मैनेजर, स्वा0 विभाग को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

18/06/19

सरकार के अवर सचिव

D:\All Letter 2017 SWETA\Order.docx